



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



संख्या: 6/6/2020-प्रशा./11152-59

दिनांक: 29/12/2023

कार्यालय आदेश संख्या 717/2023

सक्षम अधिकारी द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप श्रीमती रीता कश्यप, (कर्मचारी संख्या-0288) आशुलिपिक श्रेणी-1, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली को निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रु. 44,900-1,42,400) में 01.01.2024 से पदोन्नत किया जाता है।

वेतन निर्धारण नियम एफ आर 22 (I)(ए)(1) के अधीन द्वितीय एम ए सी पी योजना के अर्न्तगत उन्हें पहले से ही वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (44900-1,42,400) स्वीकृत किया जा चुका है, अतः वह पदोन्नति के उपरांत फिर से वेतन निर्धारण की हकदार नहीं है।

श्रीमती रीता कश्यप, आशुलिपिक श्रेणी-1 को पदोन्नति पर निजी सचिव के पद पर निदेशक (तक.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली के कार्यालय में तैनात किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है

(खुशाल सिंह)

उप निदेशक (प्रशा.)

सेवा में

श्रीमती रीता कश्यप, (कर्मचारी संख्या-0288)
आशुलिपिक श्रेणी-1,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (एमडीयू/वित्त/तक.), राज.वि.अ., नई दिल्ली।
2. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत नई दिल्ली।
3. महानिदेशक के निजी सचिव, राज.वि.अ., नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियंता (मुख्या.) के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
5. कार्यालय आदेश मिसिल/व्यक्तिगत मिसिल।
6. वैब मास्टर, एम.डी.यूनिट रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।